

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना-800015.

फोन नं० :- 0612-2217352
फैक्स नं० :- 0612-2215611
ई-मेल :- ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

- बिहार राज्य के 03 (तीन) जिलों यथा अररिया में 9-अररिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा कैमूर एवं जहानाबाद जिला में क्रमशः 205-भभुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा 216-जहानाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव संभावित है।
- भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 491/ECILET/FUNC/SVEEP-II/EGS/2017 दिनांक 22.09.2017 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में तीनों जिलों में संभावित उप चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम जनों के बीच मतदान संबंधी प्रचार-प्रसार तथा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है।
- विशेषतया VVPAT के संभावित प्रयोग के आलोक में EVM एवं VVPAT के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की जानकारी सर्वसुलभ कराने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम अन्तर्गत नोडल पदाधिकारी सहित ऑडियो-विजुअल वैन की व्यवस्था की गयी है, जिसमें प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
- मतदाताओं की सुविधा हेतु पोस्टर/बैनर/पैम्पलेट, ऑडियो जिंगल, विडियो, गीत (प्रादेशिक भाषाओं में) तैयार किये गये हैं।
- मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना से तीनों जिलों के मतदाता जागरूकता वैन को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा Flag off किया जायेगा।
- मतदाता जागरूकता वैन को दिनांक 08.02.2018 को पूर्वाह्न 11:30 बजे Flag off किया जायेगा।
- मतदाता जागरूकता वैन के समुचित परिचालन एवं प्रचार-प्रसार हेतु नोडल पदाधिकारी सहित ऑडियो-विजुअल वैन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था उक्त तीनों जिलों द्वारा सुनिश्चित की गयी है।
- उक्त वाहन का परिचालन दो अवसरों पर क्रमशः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा Flag off की निर्धारित तिथि तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रेस-नोट की तिथि से किया जायेगा।
- पटना से जिला मुख्यालय, संबंधित लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत सभी मतदान केन्द्र क्षेत्र में मतदाता जागरूकता वैन का परिचालन किया जायेगा।
- उक्त जिलों द्वारा इस हेतु विस्तृत मतदान केन्द्रवार रूटचार्ट बनाये जा रहे हैं। तदनुसार मतदाता जागरूकता वैन के माध्यम से जिलों में संबंधित क्षेत्रों के सभी प्रमुख चौक-चौराहे, मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन प्रक्रिया की सुलभ जानकारी प्रदान की जायेगी।

-----XXXXXXXXXX-----